भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 908

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

ग्रामीण और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की कमी

908. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों, विशेषकर ग्रामीण एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की उपलब्धता में आ रही कमी से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भूजल स्तर का पुनर्भरण करने और जल संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन और जलसंग्रहण प्रबंधन को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना के अंतर्गत गुजरात में कितनी निधि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता काफी हद तक जल-मौसम विज्ञान संबंधी और भूवैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है। किसी क्षेत्र में वर्षा में अत्यधिक अस्थायी और स्थानिक भिन्नता के कारण, जल उपलब्धता के परिणामस्वरूप जल कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

ग्रामीण और सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन वर्ष 2022 से प्रत्येक वर्ष केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भूजल संसाधनों का ये वार्षिक आकलन भूजल पुनर्भरण और निष्कर्षण के रुझानों का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। "भारत के गतिशील भूजल संसाधनों का राष्ट्रीय संकलन, 2024" की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 6746 मूल्यांकन इकाइयों (ब्लॉक/तालुका/मंडल) में से 751 (11.13%) मूल्यांकन इकाइयों को 'अतिदोहित' के रूप में; 206 (3.05%) मूल्यांकन इकाइयों को 'गंभीर' के रूप में; 711 (10.54%) को "अर्ध-गंभीर" इकाइयों के रूप में; 127 (1.88%) मूल्यांकन

इकाइयों को "लवणीय" और 4951 (73.39%) इकाइयों को "सुरक्षित" ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

चूँकि 'जल' राज्य का विषय है, इसलिए जल संसाधनों के संवर्द्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों में को संपूरित करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत सरकार ने जल संरक्षण, सतत जल प्रबंधन और देश भर में भूजल स्तर में सुधार के लिए अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर), नदियों को आपस में जोड़ना (आईएलआर), राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (नाक्यूम) परियोजना, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) आदि जैसी विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(घ): वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान अटल भूजल योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य को 368.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसमें से राज्य द्वारा 367.86 करोड़ रूपए का उपयोग किया जा चुका है।

विगत दो वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत गुजरात में आवंटित और उपयोग की गई निधियां निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	**केन्द्रीय**				
	अथ शेष	**आवंटन**	**निर्गत निधियां**	**उपलब्ध निधियां**	**सूचित की गई उपयोगिता**
2023-24	1088.66	2982.85	2237.14	3325.80	2377.83
2024-25	947.97	2420.14	59.00	1006.97	881.84

स्रोत:जेजेएम-आईएमआईएस दिनांक 21.07.2025 की स्थिति के अनुसार

*****